संयुक्त वन प्रबंध - वन समितियां अब और सशक्त

मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 37 लाख हेक्टेयर बिगड़े एवं खुले वन उपलब्ध हैं। इनमें से अधिकांश वन क्षेत्र ग्रामों के समीप स्थित हैं। इन वनों में से आंशिक भूमि वृक्ष उत्पादन योग्य नहीं है। किन्तु एक बड़ा हिस्सा जन सहयोग से वन आच्छादन के अतंर्गत लाया जा सकता है। ऐसा करने पर जहां एक ओर स्थानीय जनता को पारिस्थितिकीय लाभ मिल सकेंगे वहीं दूसरी ओर उनकी वनोपज संबंधित मांग भी पूर्णतः अथवा अशंतः पूरी हो सकेगी।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 धारा 28 के अंतर्गत ''मध्य प्रदेश ग्रामवन नियम, 2015'' एवं धारा 32 के अतंर्गत ''मध्य प्रदेश सरंक्षित वन नियम, 2015'' अनुसार संरक्षित वन एवं ग्रामवन का प्रबंधन ग्राम सभा द्वारा गठित ग्राम वन समिति द्वारा किया जायेगा।

संयुक्त वन प्रबंध की वर्तमान व्यवस्था अंतर्गत वनों की सुरक्षा तथा विकास कार्यों में ग्राम वन समिति वन विभाग का सहयोग करती है। नवीन व्यवस्था अंतगर्त वनों के प्रबंधन में वन विभाग ग्राम वन समिति का सहयोग करेगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य सामुदायिक वन प्रबंध की ओर ठोस कदम बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है।

संरक्षित वन/ग्राम वन नियम के मुख्य प्रावधान :-

- कलेक्टर वन मण्डलाधिकारी से परामर्श उपरान्त तथा शासन के निर्देशानुसार किसी भी सरंक्षित वन या उसके भाग जो कि, शहरी क्षेत्र में नहीं आता हो, को ग्राम से सम्बद्ध कर सकता है।
- ग्रामवन की अधिसूचना शासन द्वारा की जायेगी।
- संबद्ध संरक्षित वन/ग्रामवन का प्रबंधन संबंधित ग्रामसभा द्वारा गठित ग्रामवन समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा ग्रामसभा के परामर्श से नियमों के अनुरूप वनक्षेत्र के प्रबंधन हेतु प्रबंध योजना बनाई जायेगी, जिसमें दिये गये प्रावधान अनुसार प्रबंधन, वृक्षों का विदोहन, काष्ठ की निकासी एवं चराई को विनियमित किया जायेगा।
- संबद्ध संरक्षित वन/ग्रामवन से ग्राम के निवासियों को उनकी निस्तार तथा पैदावार आवश्यकताएं निशुल्क या ग्राम वन समिति को रकम भुगतान करने पर उपलब्ध होगी। भुगतान की दरें जिला योजना समिति संबंधित वनमण्डलाधिकारी से परामर्श के उपरान्त समय-समय पर निर्धारित करेगी।
- जहां उपलब्ध निस्तार सामग्री कुल आवश्यकता से कम होगी, वहां निस्तार सामग्री को ग्राम वन समिति द्वारा समान रूप से वितरित किया जायेगा।
- ग्राम वन समिति संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से परामर्श के पश्चात उससे संबद्ध वनक्षेत्र में वृक्षों का पातन तथा काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी की निकासी की कार्यवाही को नियमित करेगी।
- संबद्ध वनक्षेत्र में वृक्षों का पातन कार्य वन अधिकारी के तकनीकी निर्देशों में किया जायेगा तथा काष्ठ की निकासी विभाग के हैमर मार्क लगाने के उपरान्त ही की जायेगी।
- काष्ठ और जलाऊ, निस्तार, जिसमें उपजीविका निस्तार भी सम्मिलित है, के अधिक होने पर उसका निर्वतन ग्राम वन समिति द्वारा किया जायेगा।
- निवर्तन से प्राप्त आगम सर्व प्रथम वन संरक्षण एवं विकास हेतु उपयोग किए जायेंगे। अतिशेष राशि ग्रामवासियों के कल्याण हेतु उपयोग किए जा सकेंगे।
- संबंधित ग्राम के निवासियों को वनक्षेत्र, जो कि संबंधित ग्राम के साथ संलग्न है, में नियमानुसार पशुओं को चराई हेतु अनुमति होगी।
- संबद्ध वनक्षेत्र के संरक्षण हेतु ग्रामवासियों के उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।

नवीन व्यवस्था अंतर्गत ग्रामवासियों को प्राप्त होने वाले अधिकार एवं लाभ :-

नवीन व्यवस्था अंतर्गत आवंटित वनक्षेत्र में समिति का पूरा अधिकार रहेगा, इसका प्रबंधन वे अपनी बनाई गयी प्रबंधन योजना अनुसार करेंगे तथा वन क्षेत्र से प्राप्त होने वाले वन उत्पाद का शत-प्रतिशत लाभ ग्रामीणों को मिलेगा।

- नवीन व्यवस्था में समिति उनको आवंटित वनक्षेत्र में विदोहन स्वयं कर सकेंगे। वन विभाग मात्र उनको तकनीकी मार्गदर्शन देगा।
- नवीन व्यवस्था में समिति उनको आवंटित वनक्षेत्र से अपनी निस्तार पूर्ति करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।
- नवीन व्यवस्था अंतर्गत आवंटित वनक्षेत्र से निस्तार उपरान्त अतिरिक्त वनोपज का विक्रय भी समिति अपने स्तर से कर सकेगी और इससे प्राप्त होने वाले राशि को व्यय करने के लिए भी स्वतंत्र रहेगी।
- नवीन व्यवस्था में आरक्षित एवं संरक्षित वन के समस्त बिगड़े वनक्षेत्र को समितियों को प्रबंधन हतु देने से, समितियाँ किसी भी संस्था से अनुबंध कर धनराशि प्राप्त कर सकेगी और उनको आंवटित वनक्षेत्र को वनाच्छादित कर सकेंगी तथा अनुबंध अनुसार वनोपज या उसकी कीमत का एक बड़ा अंश प्राप्त भी कर सकेंगी, जो कि उनके आजीविका वृद्धि का एक बड़ा साधन रहेगा। ऐसी व्यवस्था से जहां एक तरफ जंगल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी वहीं समितियों को अच्छा लाभ भी प्राप्त होता रहेगा।

शासन की मंशा है कि इस व्यवस्था से ग्रामवासी वनों का बेहतर प्रबंधन करें और इससे अधिक से अधिक लाभ कमाएँ।

<u>दीनदयाल वनांचल सेवा</u>

दीनदयाल वनांचल सेवा के तहत वन विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा टीएफ.आर. में सुधार के साथ ही मलेरिया उन्मुलन, टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं के तहत कुपोषण दूर करने तथा किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य सुधार का काम किया जाएगा।

इसी प्रकार आदिमजाति कल्याण तथा स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सुदूर वनांचलों में संचालित शालाओं में मानसेवी अतिथि शिक्षक के रूप में वनकर्मी अपनी सेवाएं दे सकेंगे।

<u>राष्ट्रीय वनीकरण योजना</u>

राष्ट्रीय वनीकरण योजना केन्द्र पोषित है, जिसका मुख्य उद्देश्य वन और वृक्षारोपण में बढ़ोत्तरी सुधार है। इस योजना के अंतर्गत समितियों के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य किया जाता है तथ आस्थामूलक कार्य भी किये जाते हैं। समिति सदस्यों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक लाभ प्राप्त होते हैं।

<u>वन विभाग के द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी</u>

1. वन्यप्राणियों से जन हानि होने पर राहत राशि का भुगतान

उद्देश्य - वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि किये जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराना
।

पात्रता की शर्तें :- राहत राशि के भुगतान के लिए आवश्यक पात्रता की शर्ते निम्नानुसार हैः-

(i) जन-हानि (मत्यु) वन्यप्राणी (सांप, गहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोडकर) द्वारा हुई हो। (यहां वन्य प्राणी से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई परिभाषा से है)

(ii) आवेदनकर्ता मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी/परिवार का सदस्य रिश्तेदार हो।

मृत व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि सक्षम शासकीय चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15-13/2007/10-2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार 4,00,000 (रूपये चार लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

वर्तमान में म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से जन हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीन कार्य दिवस है।

विशेष- घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) को प्रस्तुत की जाना चाहिए।

2. वन्यप्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि का भुगतान

उद्देश्य - वन्य प्राणियों से घायल व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध कराना ।

पात्रता की शर्तें - संबंधित व्यक्ति को किसी वन्यप्राणी (सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोडक़र) द्वारा घायल किया गया हो। (वन्य प्राणी से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई परिभाषा से है)

घायल व्यक्ति को शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15-13/2007/10-2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि दिये जाने का प्रावधान है :-

क्र.	वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि	राहत राशि
2.	स्थायी विकलांगता होने पर	2,00,000 (रूपये दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय
3.	जनघायल होने पर	इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती रहने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रूपये 500/- प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रू. 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक होगी)

वर्तमान में म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदानन की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से सात कार्य दिवस है।

विशेष-घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) को देना अनिवार्य है।

3. वन्य प्राणियों से पशु–हानि एवं पशु घायल हेतु राहत राशि का भुगतान

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र- वन्य प्राणियों द्वारा घरेलू निजी पशुओं को मारे जाने पर पशु मालिकों को प्रति मवेशी आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करवायी जाती है तथा वन्यप्राणियों से पशु घायल होने पर शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15-13/2007/10-2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार प्रभावित लोगों को वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि हेतु देय मुआवजा राशि की 50% राशि तक क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया- सहायता पाने के लिये यह आवश्यक है कि -

1. निजी पशु मारे जाने/ घायल किये जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के 48 घंटे के अंदर दी गई हो।
2. मारे गये मवेशी/ पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो।

वर्तमान में म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से पशु हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीस कार्य दिवस है।

संपर्क - प्रकरण की सूचना मालिक द्वारा निकटतम वन अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) को दी जानी चाहिए।

4. वन्य प्राणियों से फसल हानि का मुआवजा

योजना का स्वरूप और कार्य क्षेत्र - मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत् वर्तमान में सेवा क्रमांक 4.6 में राजस्व विभाग द्वारा वन्यप्राणियों से किसानों की फसलों को पहुंचाई जाने वाली हानि का मुआवजा 30 कार्य दिवस में राजस्व विभाग द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। इसके तहत हानि का आंकलन राजस्व विभाग में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है।

संपर्क - फसल हानि की सूचना संबंधित तहसीलदार को दी जानी चाहिए।

5. मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान

उद्देश्य - स्वयं की भूमि (मालिक मकबूजा) से प्राप्त काष्ठ के मूल्य का भुगतान भूमि स्वामी को किया जाता हैं।

पात्रता की शर्तें - मालिक - मकबूजा प्रकरणों में भुगतान के लिये आवश्यक शर्ते निम्नानुसार हैं -

(i) आवेदक की काष्ठ शासकीय काष्ठागार में आमद हो चुका हो।

(ii) पृथक लॉट बनाकर विक्रय के विकल्प की स्थिति में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली हो चुकी हो।

वर्तमान में म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान की निर्धारित समयावधि निम्नानुसार है :-

(i) शासकीय दर पर काष्ठ विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में डिपो में काष्ठ प्राप्त होने की दिनांक से 45 कार्य दिवस।

(i) पृथक लॉट बनाकर विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में, विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली होने के दिनांक से 30 कार्य दिवस।

संपर्क - मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान प्राप्त करने के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन वन मण्डल अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6. काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना

उद्देश्य – वन विभाग के डिपो अथवा पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता से क्रय की गई अथवा निजी भूमि पर खड़े वृक्षों के विदोन से प्राप्त काष्ठ के परिवहन हेतु काष्ठ परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना।

पात्रता की शर्ते– परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिये पात्रता की शर्त निम्नानुसार है : –

1 विनिर्दिष्ट काष्ठ हेतु आवेदक को मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 11 के तहत पंजीकृत होना चाहिये।

2 आवेदक को काष्ठ का स्वामी होना चाहिए।

3 अ – भूमि स्वामी के प्रकरणों में आवेदक के पास काष्ठ की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वृक्ष कटाई की स्वीकृति होना चाहिए।

ब – वृक्ष कटाई की अनुमति की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन किया गया हो।

वर्तमान में म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की निर्धारित समयावधि निम्नानुसार हैः–

(I) शासकीय काष्ठागार हेतु – 3 कार्य दिवस।
(II) काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी / विर्निमाता हेतु – 10 कार्य दिवस।
(III) भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु – 30 कार्य दिवस ।

संपर्क – काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन निम्नानुसार अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(I) शासकीय काष्ठागार हेतु – काष्ठागार अधिकारी / वनपरिक्षत्रे अधिकारी।
(II) काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी / विर्निमाता हेतु – वनपरिक्षेत्र अधिकारी ।
(III) भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु – उप वन मडंल अधिकारी।

राज्य शासन द्वारा निजी स्वामित्व की 51 वृक्ष प्रजातियों की काष्ठ तथा जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा –पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया है। प्रदेश के वन क्षेत्रों से बाहर वन आवरण में वृद्धि, कृषि वानिकी को प्रोत्साहन तथा इसे लाभ का व्यवसाय बनाने के उददेश्य से यह छूट दी गई है।

7. ग्रामीणों को निस्तार सुविधाएं

उद्देश्य – प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय वनों से निस्तार सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र –

1. निस्तार नीति में रियायत की सुविधा वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के ग्रामों को होती है। इन ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय वन समितियों के माध्यम से किया जाता है। जिन ग्रामों में वन समिति गठित नहीं हैं, वहां विभागीय निस्तार डिपो से वनोपज का प्रदाय किया जाता है।

2. वन सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर ग्राम पचंायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध करावायी जाती है।

3. नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी स्थानीय बाजार से वनोपज प्राप्त कर सकते हैं।

4. स्वयं के उपयोग अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा उपलब्धता के अुनसार गिरी, पड़ी, मरी और सूखी लकड़ी लाने की सुविधा है।

निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्धतानुसार बसोड़ परिवार को एक वर्ष में अधिकतम 1500 बांस प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

8. निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना

उद्देश्य – प्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने में सहायता करना, वृक्षारोपण के माध्यम से भू–जल संरक्षण करना एवं निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर शासकीय वनों पर दबाव कम करना।

पात्र हितग्राही :
1. भूमिधारक द्वारा स्वयं अपनी भूमि पर रोपण करने पर अनुदान की पात्रता।
2. वनदूत के माध्यम से रोपण होने पर वनदूत को अनुदान की पात्रता।

योजना का लाभ लेने के लिए किसान को न्यूनतम 100 पौधों के सफल रोपण हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है। अधिकतम रोपण की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जीवित पौधों की संख्या के आधार पर (न्यूनतम 65 प्रतिशत पौधें जीवित रहने पर) योजना का लाभ तीन वर्षों तक दिया जाता है। प्रोत्साहन राशि का वितरण

1. रोपण के अगले वर्ष तथा दूसरे वर्ष में 3 रूपये तथा तीसरे वर्ष में 4 रूपये प्रति जीवित पौधा के मान से पा्रेत्साहन राशि
2. वनदूत को रोपण के अगले वर्ष में 2 रूपये तथा दूसरे एवं तीसरे वर्ष में 1 रूपये प्रति जीवित पौधों के मान से अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहन राशि
3. न्यूनतम 65 प्रतिशत पौधें जीवित होने पर ही प्रोत्साहन राशि जीवित पौधों हेतु दी जाती है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया :

योजना का क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जाता है। योजना अतं र्गत खेत की मेड़ पर अथवा कृषि फसल के बीच में अथवा खंड वृक्षारोपण किया जा सकता है। निजी भूमि पर किये गये वृक्षारोपण का पंजीयन तहसील/ वन परिक्षेत्र कार्यालय में कराने पर भविष्य में वृक्षों की कटाई में छूट की सुविधा आवेदक को प्राप्त होगी।

संपर्क :
क्षेत्र के संबंधित मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त) अथवा वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) से संपर्क किया जा सकता है।

9. लोक वानिकी के माध्यम से ग्रामीणों और पंचायतों की आय

उद्देश्य – निजी तथा राजस्व भूमि पर खड़े वनों तथा पड़ती भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर भूमि स्वामियों और पंचायतों को नियमित आय सुनिश्चित करवाना।

पात्र हितग्राही –

1. निजी भूमि पर खड़े वनों/वक्षृ आच्छादित क्षेत्रों, पड़ती भूमि का वैज्ञानिक प्रबंधन करने के इच्छुक भूमि स्वामी।
2. जिन पंचायतों के क्षेत्र में राजस्व विभाग के बड़े झाड़ – छोटे झाड़ के जंगल/ पड़ती जमीन हो और उस पर वानिकी विकास करने के इच्छुक ग्राम पंचायतें।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया – योजना का क्रियान्वयन वन विभाग और राजस्व विभाग के सहयोग से किया जाता है। वन विभाग क्रियान्वयन में नोडल भूमिका निभाता है।

संपर्क – वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) से संपर्क किया जा सकता है।

10. संयुक्त वन प्रबंध समितियों को लाभांश वितरण

मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंध समितियां गठित है। इन समितियों के माध्यम से कुल 66,874 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास के कार्य कराये जा रहे हैं। प्रदेश के वनों में रहने वाले निवासियों को वनोपज का पहला अधिकार इन्ही समितियों का मानते हुए शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष काष्ठ एवं बांस के लाभांश का वितरण किया जाता है। इसके अंतर्गत इमारती लकड़ी के शुद्ध आय की 20 प्रतिशत राशि वन समिति को वितरित करने का प्रावधान है। बांस के लाभ की शत प्रतिशत राशि कटाई में संलग्न श्रमिकों को वितरण की व्यवस्था है।

11. तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना

उद्देश्य – तेंदूपत्ता संग्राहकों की मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितों/परिवारजनों को आर्थिक सहायता के रूप में।

योजना का स्वरूप और कार्य क्षेत्र – नामांकित व्यक्ति को सामान्य मृत्यु की दशा में 5,000 रूपये प्रदाय किये जाते हैं। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में 26,500 रूपये उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है। यदि कोई संग्राहक दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो उस स्थिति में 12,500 रूपये और पूर्ण विकलांग होने पर उसे या उसके उत्तराधिकारी को 25,000 रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनापेज संघ द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों का बीमा कराया जाता है।

पात्र हितग्राही – 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु के सभी तेंदूपत्ता संग्राहक।

सम्पर्क – संबंधित अध्यक्ष/ प्रबंधक, प्राथमिक लघु वनोपज समिति।

12. एकलव्य शिक्षा विकास योजना

योजना – वनोपज संघ की कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला में एक नई कड़ी के रूप में एकलव्य वनवासी शिक्षा विकास योजना प्रारंभ की गयी है।

उद्देश्य – इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य वन क्षेत्रों में निवास करने वाले तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है जिससे तेंदूपत्ता संग्राहकों के होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रह जाएं।

पात्र – तेंदूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाता है ताकि वनवासी परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

स्वरूप – योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है –

1. इस योजना का लाभ प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं वनोपज समितियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को प्ा्रस हैं। संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि इन पाँच वर्षो में कम से कम तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया हो। फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेंदूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।

2. इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उन्हीं बच्चों के प्रकरणों पर विचार किया जाता है जिन्होंने पिछले शिक्षा सत्र में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड अर्जित किया हो।

3. इस योजना में कक्षा नौ से 12 तक एवं स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रावीण्य सूची के आधार पर शामिल किया जाता है।

4. इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्र–छात्राओं को शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पुस्तकों के क्रय में होने वाला व्यय, छात्रावास में ठहरने एवं भोजन पर व्यय तथा वर्ष में एक बार अपने घर जाने एवं वापस शिक्षण स्थल तक आने हेतु निकटतम मार्ग से रेल में स्लीपर क्लास अथवा साधारण श्रेणी का रेल किराया एवं साधारण श्रेणी से बस किराये पर यात्रा व्यय मिलने की पात्रता होगी। छात्र/छात्राओं को मिलने वाली कुल सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी–

   - कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्रों/छात्राओं को 12,000 रूपये।
   - कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों/छात्राओं को 15,000 रूपये।
   - गैर तकनीकी स्नातक छात्रों/छात्राओं को 20,000 रूपये।
   - व्यावसायिक कोर्स के छात्रों/छात्राओं को 50,000 रूपये।

5. यदि चयनित छात्र–छात्राओं को केंद्रीय/राज्य शासन अथवा किसी भी अन्य संस्थान आदि से किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई छात्रवृत्ति अथवा सहायता प्राप्त हो रही है तो वनोपज संघ द्वारा इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति में उसे प्राप्त हो रही राशि की सीमा तक कमी कर दी जावेगी।

6. योजना के अंतर्गत चयनित छात्र–छात्राओं को निरंतर न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा। यदि किसी अप्रत्याशित परिस्थितिवश किसी चयनित छात्र–छात्रा का प्रदर्शन उससे नीचे जाता है, तो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा उसमें दर्शित कारणों पर विचार करने के उपरांत उसे अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिये अधिकतम एक अवसर प्रदान किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की अनुशंसा पर संघ मुख्यालय स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

7. उपरोक्त पैरा छः के अध्यधीन रहते हुए इस याजे ना के अतं र्गत सहायता नवीं कक्षा या उसके बाद की कक्षाओं में अध्ययन हेतु तब तक दी जायेगी जब तक कि संबंधित छात्र–छात्रा का प्रदर्शन निर्धारित न्यूनतम स्तर से ऊपर का रहता है।

8. इस योजना के अतं र्गत प्रत्येक वर्ष संघ के संचालक मडंल द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए बजट की राशि निर्धारित की जायेगी। इस स्वीकृत बजट राशि के अंतर्गत श्रेष्ठता क्रम में चयनित छात्र–छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

9. इस योजना के अतं र्गत किसी वर्ष के लिए उपलब्ध बजट की 50 प्रतिशत राशि कक्षा नवीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए तथा शेष 50 प्रतिशत राशि स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए व्यय हेतु उपलब्ध है।

10. इस योजना के अंतर्गत प्रावीणता के आधार पर छात्र–छात्राओं के चयन हेतु सूची राज्य स्तर पर लघु वनोपज संघ द्वारा तैयार की जाती है।

13. शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार :

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 से प्रत्येक वर्ष वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा में किए गए विशिष्ट कार्यों हेतु शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के संशोधित आदेश द्वारा वर्ष 2006 से निम्न श्रेणियों में पुरस्कृत करने का प्रावधान है:-

क्र.	पुरस्कार वर्ग	कार्य क्षेत्र	पुरस्कार
1.	संस्थागत - ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंध के अंतर्गत गठित समितियाँ, अशासकीय स्वयंसेवी संस्थान।	वन रक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य	रूपये एक लाख नगद तथा प्रशस्ति पत्र
2.	व्यक्तिगत (अशासकीय)	अ. वन रक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य	रूपये पचास हजार तथा प्रशस्ति पत्र
3.	व्यक्तिगत (अशासकीय)	वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य (अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन)	रूपये पचास हजार तथा प्रशस्ति पत्र
4.	व्यक्तिगत (शासकीय)	अ. वन रक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य	रूपये पचास हजार तथा प्रशस्ति पत्र
5.	व्यक्तिगत (शासकीय)	ब. वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य (अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन)	रूपये पचास हजार तथा प्रशस्ति पत्र

14. बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार :

म.प्र. शासन, वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश एवं विंध्य क्षेत्र में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शित की गई शूरवीरता तथा निजी भूमि में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों, अशासकीय व्यक्तियों/ संस्था/ समितियों को पुरस्कृत करने के लिये दो श्रेणियों में निम्नानुसार बसामन मामा स्मृति पुरस्कार वर्ष 2009 से संस्थापित किया गया है।

1	विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार (वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु)		
	पुरस्कार वर्ग		पुरस्कार
	(क) शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु	(ख) अशासकीय व्यक्तियों हेतु	
	1. प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3. तृतीय पुरस्कार	1. प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3. तृतीय पुरस्कार	रूपये दो लाख तथा प्रशस्ति पत्र रूपये एक लाख तथा प्रशस्ति पत्र रूपये पचास हजार तथा प्रशस्ति पत्र
2	राज्य स्तरीय वन संवर्धन पुरस्कार (निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु)		
	(क) राज्य के अंतर्गत पांच हेक्टेयर से अधिक	(ख) राज्य के अंतर्गत पांच हेक्टेयर से कम	
	1. प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3. तृतीय पुरस्कार	1. प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3. तृतीय पुरस्कार	रूपये दो लाख तथा प्रशस्ति पत्र रूपये एक लाख तथा प्रशस्ति पत्र रूपये पचास हजार तथा प्रशस्ति पत्र